# ग्राम पंचायत सियालकड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **प्रस्तावना:-**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सियालकड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

**प्रधान**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री दुनी चदं | 1-04-2013 से 22-01-2016 |
| 2 | श्री जसवंत सिंह | 23-01-2016 से 31-03-2016 |

**सचिव**

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री संजीव कुमार | 1–04-2013 से 31-03-2016 |

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार**

ग्राम पंचायत सियालकड़ के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 | अनुदान का उपयोग न करना | 18.73 |
| 2 | पैरा 9 | प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय | 0.11 |
| 3 | पैरा 10 | निर्माण कार्यों की मदों का क्रय करने के लिए अधिक भुगतान | 0.44 |
| 4 | पैरा 12 | Assessment के बिना भुगतान करना | 1.77 |
| 5 | पैरा 13 | पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किये गये सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना | 4.33 |
| 6 | पैरा 14 | पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी विभिन्न मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना | 3.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पैरा 15 | IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को जारी की गयी राशि की वसूली न करने बारे | 1.50 |
| 8 | पैरा 16 | मनरेगा में दोहरा भुगतान करना | 0.17 |
| 9 | पैरा 17 | अधिक भुगतान/दुर्विन्योजन | 0.04 |
| 10 | पैरा 18 | अधिक भुगतान की सम्भावना. | 0.04 |
| 11 | पैरा 19 | मनरेगा के भुगतान वाउचर में न होना | 0.20 |

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सियालकड़ , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कानिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28-6-2016 से 1-7-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2013-14 | 3/2014 | 3/2014 |
| 2014-15 | 3/2015 | 10/2014 |
| 2015-16 | 10/2015 | 4/2015 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सियालकड़ , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 149/2016 दिनांक 1-7-2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सियालकड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) <u>स्व स्त्रौत :-</u> ग्राम पंचायत सियालकड़ के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 42937 | 98306 | 141243 | 82942.5 | 58300.5 |
| 2014-15 | 58300.5 | 126428 | 184728.5 | 28997 | 155731.5 |
| 2015-16 | 155731.5 | 77557 | 233288.5 | 26421.6 | 206866.9 |

(2) <u>अनुदान :-</u>ग्राम पंचायत सियालकड़ के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 2063273 | 2580157 | 4643430 | 3902304 | 741126 |
| 2014-15 | 741126 | 3417149 | 4158275 | 3245548 | 912727 |
| 2015-16 | 912727 | 3425055 | 4337782 | 2463879 | 1873903 |

5 <u>बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना परिणाम स्वरूप रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹16650.98 का अन्तर :-</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सियालकड द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण बर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत मे दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातो मे ₹16650.98 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियो का बैंक खातो से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही के अंतिम शेष का बैंक खातो से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 206866.9

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1873903.0

3 कुल योग = 2080769.9

<u>अन्तशेष का विवरण</u>

| क्रम संख्या | बैंक का नाम | बचत खाता संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88100100019710 | 26010.17 |
| 2 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048801 | 25391.5 |
| 3 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048786 | 23709 |
| 4 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 8810170004878 | 92 |
| 5 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048731 | 398.4 |
| 6 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048795 | 51878 |
| 7 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048768 | 35655 |
| 8 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700048829 | 20798 |
| 9 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700046788 | 186362 |
| 10 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700046797 | 72015 |
| 11 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700046803 | 98533 |
| 12 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, मझीन | 88101700046812 | 112380 |
| 13 | काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमीत, मझीन | 20008005773 | 1019132 |
| 14 | हिमाचल ग्रामीण बैंक, देहरा | 50057581633 | 2063388.67 |
| | | योग | 2063388.67 |
| | हस्तगत राशि | | 730.25 |
| | | योग | 2064118.92 |

अन्तर:-2080769.90-2064118.92= ₹16650.98

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधिके लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव सियालकड़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व की वसूली ₹23340 शेष थी।

1. गृहकर :

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 22410 | 22410 | 22410 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 23140 | 23410 | 23410 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 23340 | 23340 | 0 | 23340 |

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज[ वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹1873903 का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट- 1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1873903 रुपये उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 प्राप्त अनुदानों से ₹10769 का अधिक व्यय :-

सचिव ग्राम पंचायत सियालकड द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार TSC में दिनांक 31-03-2016 को ₹10769 रुपये की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन TSC में अथवा किसी अन्य योजना से TSC का भुगतान करने के फलस्वरूप है । इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाएं|

10 निर्माण कार्यों की मदों का क्रय करने के लिए ₹43860 का अधिक भुगतान

ग्राम पंचयत द्वारा चयनित मासों के दौरान क्रय की गई निर्माण सामाग्री के भुगतान वाउचरो की जांच करने पर पाया गया कि क्रय बिना कुटेशनों के किया गया। जांच मे पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मास 10/2014 में निम्न दरों पर निर्माण सामाग्री का क्रय किया गया

| वो सं. | मास | मद का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 10/2014 | (i) रेत | 500cft | 16 |
| | | (ii) बजरा | 400cft | 16 |
| | | (iii) सोलिंग | 600cft | 18.7 |

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इससे पूर्व तथा इसी मास में अधिक दरों पर इन मदों का क्रय करते हुए जिनकी विवरणी परिशिष्ट-2 पर सलंगन है के अनुसार ₹43860 का अधिक भुगतान किया गया। अत:बिना कुटेशनों के तथा अधिक दर पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी बसूली संबन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गए हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता |इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 <u>Assessment के बिना ₹176584 भुगतान करना :-</u>

(1) प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस ) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट-3 पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹176584 रूपये का भुगतान assessment के बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त परिशिष्ट-4 पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹117852 का सीमेंट निर्माण कार्यों के लिए जारी किया गया परन्तु कार्यों की assessment नहीं की गयी है। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए assessment से संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

13 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किये गये सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹433268 के सीमेंट का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी तथा दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सीमेंट को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टर तैयार करके सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित किया जाए।

14 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी विभिन्न मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 ( A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹300370 स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। तथा मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी । इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय किए गए स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

15 <u>IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को जारी की गयी ₹150000 की वसूली बारे में:-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट-7 पर लगाए गये विवरण के अनुसार IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को ₹150000 की ब्याज मुक्त राशि जारी की गयी जो कि इन सहायता समूहों ने नियमानुसार 18 महीने बाद पंचायत को वापिस करनी है। अत: नियमानुसार राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

16 <u>₹16698/- का अधिक भुगतान :-</u>

<u>बा.सं.</u> 107 <u>मास</u> 2/2014 <u>राशि</u> ₹16698/-

निर्माण कार्य कूहल पानी निकासी जजर के मस्टरोल संख्या 5741अवधि 6-1-2014 से 20-1-2014 तक मजदूरों को चेक संख्या 415799 दिनाँक 26-2-2014 द्वारा 16698/-का भुगतान किया गया परन्तु पुन: F.T.O. द्वारा बा. सं. 110 मास 2/2014 द्वारा ₹16698/-की राशि पुनः मजदूरों के खाते में जमा करवाई गई जबकि मस्टरोल की कुल राशि ₹16698/-थी।

इस प्रकार मजदूरो को दो बार भुगतान किया गया। अत: ₹16698/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17 ₹4000 का अधिक भुगतान :-

बा. सं. 68 मास 10/2014 राशि ₹16000/-

(निर्माण कच्चा डंगा भूमि कटाव श्री राजमहल की जमीन में) के लिए श्री रमेश चंद से ₹4000/- पत्थर क्रय करने के लिए ₹4 प्रति पत्थर के दर से ₹16000/- का भुगतान किया गया ! निर्माण कार्य की असेसमेंट मापन पुस्तिका 6851 के पृष्ठ 88 पर दर्ज की गई है तथा वास्तव में 3000 पत्थर ही स्थल पर लगाया गए है! अत: 1000 पत्थर अधिक क्रय करने के कारण ₹4 प्रति पत्थर की दर से ₹4000/-का अधिक भुगतान किया गया /दुर्विन्योजन किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 ₹3900 का अधिक भुगतान की सम्भावना

मनरेगा रोकड बही तथा भुगतान वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार कार्य के लिए मस्टरोल की राशि तथा FTO/रोकड़ बही में दर्शाए गए भुगतान में ₹3900 का अन्तर पाया गया जिस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹3900 की वसूली की जाए।

| बा. सं. | मास | निर्माण कार्य का नाम | मस्टरोल संख्या | मस्टरोल राशि | FTO/रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि | अंतर | टिपण्णी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 10/2014<br>4/2015 | निर्माण पक्का रास्ता डिब् बुक पानी से रतन चंद के घर | 2169 | 8778 | (i)5390<br>(ii)5540<br>=10934 | 2156 | पार्ट पेमेन्ट |
| 86 | 4/2015<br>12/2015 | निर्माण डंगा बाबू राम की जमीन | 3212 | 15554 | (i)9394<br>(ii)7304<br>=16698 | 1144 | पार्ट पेमेन्ट |
| 109 | 2/2015,<br>4/2015 | निर्माण डंगा पृथ्बी सिंह की जमीन | 3750 | 5390 | (i)4312<br>(ii)1678<br>=5990 | 600 | पार्ट पेमेन्ट |
| | | योग | | | | 3900 | |

19 मनरेगा के भुगतान वाउचर अभिलेख में न होना

मनरेगा के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में निम्नानुसार

भुगतान दर्शाया गया परंतु भुगतान वाउचर अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अत: इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹19640 की वसूली संबन्धित से करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

| बा. संख्या | मास | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 4/2015 | 8470 |
| 2 | 4/2015 | 8470 |
| 3 | 3/2014 | 2700 |
| | योग | 19640 |

20 मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-

ग्राम पंचायत सियालकड़ की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन किया गया और न ही test check किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

21 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरो की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत ; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है । जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए।

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्रम | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | अस्थाई अग्रिम रजिस्टर | 9 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **निर्माण कार्यों का रजिस्टर** | | **103** |
| 4 | **मासिक समाधान विवरणी** | **15(1)** | |
| 5 | **विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते** | **7** | **29(1)** |
| 6 | **मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर** | **10** | **33 व 77(4)** |
| 7 | **अनुदान रजिस्टर** | **21** | **61(1)** |
| 8 | **डाक टिकट रजिस्टर** | **24** | **61(2)** |
| 9 | **स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर** | **25 व 26** | **72(1)** |
| 10 | **निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर** | **31** | **95(1)** |

**अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

**23 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

**हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।**

**24 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।**

**25 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना , भण्डार रजिस्टरों मे मदों को दर्ज न करना, कुटेशनों के बिना क्रय करना लेखे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है जिसे विशेषरूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत सियालकड़ के लेखाओं की विस्तारपूर्वक जांच की जाए।**

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 10/2016—खण्ड—1—5040—5043 दिनाँकः19.09.2016 शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

**पंजीकृत**

1 सचिव, ग्राम पंचायत सियालकड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट (      ) पैरा संख्या      के संदर्भ में

**मदों की सूचि जो भंडार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गयी**

**सामान्य रोकड़ बही**

| बा. सं. | मास | बस्तु का नाम | मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 3/2014 | (i)रेत | 150 cft | 32 | 4800 |
| | | (ii)बजरा | 400 cft | 32.5 | 13000 |
| | | (iii)बजरी क्रशर | 150 cft | 37.5 | 5625 |
| | | (iv)सोंलिंग | 300 cft | 32 | 9600 |
| 123 | 3/2014 | (i)रेत | 350 cft | 32 | 11200 |
| | | (ii)बजरा | 226 cft | 32.5 | 7345 |
| | | (iii)बजरी क्रशर | 150 cft | 37.5 | 5625 |
| | | (iv)बजरी गोल | 200 cft | 36 | 7200 |
| | | (v)सोलिंग | 225 cft | 32 | 7200 |
| | | (vi)पत्थर | 200 | 7.5 | 1500 |
| 139 | 3/2014 | (i)रेत | 4.32 $m^3$ | 1165.23 | 5034 |
| | | (ii)बजरी | 1.08 $m^3$ | 1306.42 | 1411 |
| 141 | 3/2014 | ईंट | 400 | 6.9 | 2760 |
| 142 | 3/2014 | पत्थर | 3.93 $m^3$ | 1287.5 | 4863 |
| 143 | 3/2014 | (i)रेत | 1.4 $m^3$ | 777 | 1088 |
| | | (ii)बजरी | 0,36 $m^3$ | 1060 | 382 |
| 147 | 3/2014 | (i)सोलिंग | 3.01 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 3401 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (ii)बजरा | 1.30 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 1469 |
| | | (iii)रेत | 3.34 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 3774 |
| | | (iv)बजरी | 2.72 $m^3$ | 1271.16 $m^3$ | 3458 |
| 149 | 3/2014 | ईंट | 250 | 6.76 | 1690 |
| 49 | 10/2014 | (i)रेत | 500 cft | 16 | 8000 |
| | | (ii)बजरा | 400 cft | 16 | 6400 |
| | | (iii)सोंलिंग | 600 cft | 18.70 | 11220 |
| 50 | 10/2014 | (i)रेत | 300 cft | 20 | 6000 |
| | | (ii)बजरा | 200 cft | 24.70 | 4940 |
| | | (iii)सोंलिंग | 300 cft | 20 | 6000 |
| 51 | 10/2014 | (i) सरिया 8mm | 80 kg | 52.5 | 4200 |
| | | (ii)सरिया 10mm | 225 kg | 52 | 11700 |
| | | (iii)सरिया 12mm | 275 kg | 51 | 14025 |
| 52 | 10/2014 | (i)सरिया 8mm | 165 kg | 52,5 | 8662 |
| | | (ii)सरिया 10mm | 385 kg | 52 | 20020 |
| 53 | 10/2014 | (i)ईंट | 150 | 6 | 900 |
| | | (ii)कील | 13 kg | 70 | 910 |
| | | (iii)रस्सी | 5 kg | 70 | 350 |
| | | (iv)तार ब्रश | 1 | 50 | 50 |
| 55 | 10/2014 | सोलर लाइट | 3 | 19117 | 57351 |
| <u>आई डव्लू ऍम पी I</u> | | | | | |
| 13 | 10/2014 | (i)रेत | 110 cft | 32 | 3520 |
| | | (ii)बजरा | 220 cft | 36 | 7920 |
| | | (iii)सोलिंग | 55 cft | 32 | 1760 |
| <u>आई डव्लू ऍम पी IV</u> | | | | | |
| 59 | 3/2014 | (i)स्टील 10mm | 144.500kg | 46.8 | 6763 |
| | | (ii)स्टील | 90.550kg | 48.60 | 4400 |
| | | (iii)तार | 1.500 | 80 | 120 |
| | | (iv)मेख | 2 kg | 65 | 130 |
| 12 | 10/2014 | (i)रेत | 49 cft | 32 | 1568 |
| | | (ii)बजरी | 145 cft | 36 | 5220 |
| 13 | 10/2014 | (i)रेत | 40 cft | 32 | 1280 |
| | | (ii)बजरी | 126 cft | 36 | 4536 |

| | | | योग | | 300370 |
|---|---|---|---|---|---|

परिशिष्ट (      ) पैरा संख्या      के संदर्भ में

**पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी सीमेंट की सूची जोस्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया**

**आई डव्लू ऍम पी I**

| बा. सं. | मास | सीमेंट की मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/2013 | 200 | 216 | 43200 |
| 9 | 10/2014 | 180 | 242 | 43560 |
| आई डव्लू ऍम पी IV | | | | |
| 9 | 5/2013 | 200 | 216 | 43200 |
| 50 | 11/2013 | 180 | 219 | 39420 |
| 22 | 1/2015 | 200 | 242 | 48400 |
| मनरेगा:- | | | | |
| 23 | 7/2013 | 180 | 216 | 38880 |
| 62 | 11/2013 | 180 | 219 | 39420 |
| 102 | 1/2014 | 180 | 219 | 39420 |
| 18 | 7/2014 | 50 | 242 | 12100 |
| 65 | 9/2014 | 114 | 242 | 27588 |
| 76 | 11/2014 | 240 | 242 | 58080 |
| | | योग | | 433268 |

परिशिष्ट (      ) पैरा संख्या      के संदर्भ में

**कार्यों की सूचि जिनके लिए सीमेंट जारी किया गया**

**सामान्य रोकड़ बही**

| मास | निर्माण कार्य का नाम | सीमेंट बैग | राशि |
|---|---|---|---|
| 4/2015 | निर्माण बाबली  दकखर | 40 | 11100 |
| 4/2015 | निर्माण L/R GMS खुर्द से देशराज के घर तक | 53 | 14707 |
| 4/2015 | निर्माण L/R गलिना से धर्मचंद के घर तक | 40 | 11100 |
| 10/2014 | निर्माण L/R पानी की बाबली गलिना से धर्मचंद के घर तक | 139 | 38354 |
| 10/2014 | निर्माण L/R सियालकड़ किशोरी लाल के घर से मानचंद की गौशाला तक | 13 | 3286 |
| 10/2014 | निर्माण बाबली सरुही | 20 | 5055 |
| आई डव्लू ऍम पी I | | | |
| 3/2014 | निर्माण पानी टेंक जल संगरण जगदीश चन्द्र बलरा | 92 | 23000 |
| आई डव्लू ऍम पी IV | | | |
| 3/2014 | निर्माण पानी टेंक जल संगरण किशन चंद | 45 | 11250 |
| | योग | | 117852 |

परिशिष्ट (    ) पैरा संख्या    के संदर्भ में

| बा.सं. | मास | चेक सं. | दिनाँक | स्बयं सहायता क्रय का नाम | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| आई डव्लू ऍम पी I | | | | | |
| 26 | 2/2015 | 452678 | 7-2-2015 | तुलसी सहयता समूह, गांब मरियाना, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| 27 | 2/2015 | 422679 | 7-12-2015 | हर हर महादेव, समूह, गांब सरूई, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| आई डव्लू ऍम पी IV | | | | | |
| 15 | 11/2014 | 452266 | 25-11-2014 | जय बाबा बालक नाथ, समूह, गांब सरूई, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| 16 | 11/2014 | 452267 | 25-11-2014 | जय संतोषी माँ , समूह, गांब सरूई, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| 17 | 11/2014 | 452268 | 25-11-2014 | जय माता, समूह, गांब सरूई, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| 8 | 7/2015 | 452283 | 2-7-2015 | तुलसी, समूह, गांब सरूई, डा. सियालकड़, तह. खुंडिया, जिला काँगड़ा | 25000 |
| | | | | योग | 1,50,000 |

परिशिष्ट (     ) पैरा संख्या     के संदर्भ में

**निर्माण कार्य की सूचि जिनकी assessment नहीं की गयी**

| बा. सं. | मास | कार्य का नाम | राशि |
|---|---|---|---|
| सामान्य रोकड़ बही | | | |
| 137 | 3/2014 | निर्माण रास्ता गांब मरयाना | 26514 |
| 60 | 10/2014 | निर्माण सामुदायिक भवन मटाल कलां बिक्रम सिंह के घर के पास | 4752 |
| IWMP 1 | | | |
| 52 | 3/2014 | निर्माण पानी टेंक बर्षा जलसंग्रहण जगदीश चंद | 20940 |
| मनरेगा | | | |
| 70 | 10/2014 | निर्माण डंगा भूमि कटाब रोकने बारे राजकुमार की जमीन | 3388 |
| 72 | 10/2014 | निर्माण लिंक रोड क्रुरी मैन रोड से जगत राम के घर तक | 3388 |
| 75 | 10/2014 | निर्माण पुली बल्ररी नाला न.1 | 4620 |
| 76 | 10/2014 | निर्माण पक्का रास्ता डिब् से पानी बुक तक | 5390 |
| 1 | 4/2015 | निर्माण L/R मैन रोड से बगत राम के घर तक | 8470 |
| 2 | 5/2015 | निर्माण डंगा भूमि कटाव राज कुमार | 8470 |
| 66 | 4/2015, 9/2014 | निर्माण L/R मैन रोड से जगत राम के घर तक | 1540 |
| 72 | 4/2015, | यथोपरी | 5698 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 10/2014 | | |
| 70 | 4/2015, 10/2014 | निर्माण डंगा राजकुमार | 1694 |
| 84 | 4/2015, 12/2014 | निर्माण पुली नाला न.1 | 2464 |
| 104 | 4/2015, 2/2015 | यथोपरी | 2772 |
| 105 | 4/2015, 2/2015 | यथोपरी | 6776 |
| <u>IWMP-IV</u> | | | |
| 60 | 3/2014 | निर्माण पानी टंकी अजेश कुमार | 22388 |
| 2 | 4/2015 | निर्माण RWHT ब्ल्देब | 20100 |
| 3 | 4/2015 | निर्माण RWHT सुखलाल | 18750 |
| | | TOTAL | 176584 |

**पैरा संख्या के संधर्भ में परिशिष्ट**

**दरों की तुलनात्मक विवरणिका**

| बा. सं. | मास | बस्तु का नाम | मात्रा | दर | पैरा में दर्शाई गई दर के अनुसार देय दर | अंतर (5-6) | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122 | 3/2014 | (i)रेत | 150 cft | 32 | 16 | 16 | 2400 |
| | | (ii)बजरा | 400 cft | 32.5 | 16 | 16.5 | 6600 |
| | | (iii)सोंलिंग | 300 cft | 32 | 18.70 | 13.30 | 3990 |
| 123 | 3/2014 | (i)रेत | 350 cft | 32 | 16 | 16 | 5600 |
| | | (ii)बजरा | 226 cft | 32.5 | 16 | 16.5 | 3729 |
| | | (iii)सोलिंग | 225 cft | 32 | 18.7 | 13.3 | 2993 |
| 139 | 3/2014 | (i)रेत | 4.32 $m^3$ | 1165.23 | 565 | 600.23 | 2593 |
| 143 | 3/2014 | (i)रेत | 1.4 $m^3$ | 777 | 565 | 212 | 297 |
| 147 | 3/2014 | (i)सोलिंग | 3.01 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 660 | 469.92 | 1414 |
| | | (ii)बजरा | 1.30 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 583 | 546.92 | 711 |
| | | (iii)रेत | 3.34 $m^3$ | 1129.92 $m^3$ | 565 | 565 | 1887 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10/2014 | (i)रेत | 300 cft | 20 | 16 | 4 | 1200 |
| | | (ii)बजरा | 200 cft | 24.70 | 16 | 8.7 | 1740 |
| | | (iii)सौंलिंग | 300 cft | 20 | 18.7 | 1.3 | 390 |
| आई डव्लू ऍम पी I | | | | | | | |
| 13 | 10/2014 | (i)रेत | 110 cft | 32 | 16 | 16 | 1760 |
| | | (ii)बजरा | 220 cft | 36 | 16 | 20 | 4400 |
| | | (iii)सोलिंग | 55 cft | 32 | 18.7 | 13.3 | 732 |
| आई डव्लू ऍम पी IV | | | | | | | |
| 12 | 10/2014 | (i)रेत | 49 cft | 32 | 16 | 16 | 784 |
| 13 | 10/2014 | (ii)रेत | 40 cft | 32 | 16 | 16 | 640 |
| | | | योग | | | | 43860 |

**Assessment के बिना भुगतान करना परिशिष्ट पैरा संख्या के सन्धर्भ में**

**मनरेगा**

| बा. सं. | मास | निर्माण कार्य का नाम | राशि |
|---|---|---|---|
| 30 | 11/2014 | C/O Water tank in the house of Ram Singh | 17248 |
| 5 | 6/2015 | c/o well in land of Skindra Devi | 8748 |
| GENERAL CASH BOOK | | | |
| 60 | 11/2014 | c/o L/R from main road gagruhi Rajputan Brota to Jol | 29756 |
| 52 | 6/2015 | Repair of pucca rasta from main road to handpump vill. Chowki | 26350 |
| 53 | 6/2015 | Do | 30800 |
| 57 | 6/2015 | C/O Jeapable road from main road to house of Ram Singh | 34496 |
| 60 | 6/2015 | Do | 48250 |
| | | Total | 195648 |